कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बलरामपुर
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज छत्तीसगढ़

—:::आदेश:::—

बलरामपुर दिनांक 11/04/2021

क्रमांक/3190/कले./एस.डब्ल्यू./2021 ::: भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड–19) नियंत्रण के संबंध में इस कार्यालय द्वारा धारा 144 दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 के अधीन आदेश क्रमांक/2786/कले./एस.डब्ल्यू./2021 बलरामपुर दिनांक 24.03.2021 एवं आदेश क्रमांक/2946/कले./एस.डब्ल्यू./2021 बलरामपुर दिनांक 30.03.2021 जारी किये गये हैं। इन आदेशों में किये गये प्रतिबंधों की समीक्षा की गई। वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर जिला बलरामपुर–रामानुजगंज में आवागमन तथा सार्वजनिक गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुक्रम में **मैं श्याम धावड़े, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.)** निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :–

01– बलरामपुर–रामानुजगंज जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 14.04.2021 सायं 06:00 बजे से दिनांक 25.04.2021 रात्रि 12:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।

02– उपरोक्त अवधि में बलरामपुर–रामानुजगंज जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी।

03– उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

04– पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश–वैन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेल्वे स्टेशन/अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई–पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध–वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

05– दुग्ध पार्लर व दुग्ध–वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक एवं संध्या 05:00 बजे से संध्या 06:30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध के साथ अन्य व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे। सब्जी बाजार प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 12:00 बजे तक खुले रहेंगे। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।

06– पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं सायंकाल 05:00 बजे से सायंकाल 06:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।

07– एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेंसियॉ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे।

08– औद्योगिक संस्थाओं एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।

09– उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेंगी।

10– सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

11– उपरोक्त अवधि में बलरामपुर–रामानुजगंज जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय तथा बैंक बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम एवं रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख–रखाव से जुडे कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग–अनलोडिग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी, किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत् संचालित रहेंगे।

//2//

12– सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

13– कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे–टीकाकरण, कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार संचालित होते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड हॉस्पिटल/कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पुर्वानुसार संचालित रहेंगे।

14– अपरिहार्य परिस्थितियों में बलरामपुर–रामानुजगंज जिले से अन्यत्र आने–जाने वाले यात्रियों का ई–पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख–रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड–19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई–पास के रूप में मान्य किया जायेगा।

15– कोविड–19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड–19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय–पत्र दिखाने पर कोविड–19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथोलॉजी लैब अथवा आने–जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।

16– आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 04, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। बस स्टेंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लघंन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए अन्य वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

17– मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई–कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

18– यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील कार्यालय, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

19– भारत सरकार/राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

20– उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक हो गया है। फलस्वरूप वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली सभंव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित् किया जावे।

यह आदेश उपरोक्तानुसार दिनांक 14.04.2021 सायं 06:00 बजे से दिनांक 25.04.2021 रात्रि 12:00 बजे तक लागू रहेगा।

(श्याम धावड़े)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज(छ.ग.)

पृ.क्र./3191...../कले./एस.डब्ल्यू./2021 बलरामपुर दिनांक 11/04/2021

प्रतिलिपि :–

1– मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।

2– अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री छ0ग0 शासन की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।

3– अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।

4– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।

5– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।

6– आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।

7– पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।

8– पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर–रामानुजगंज को सूचनार्थ प्रेषित्।

9– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलरामपुर, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज को सूचनार्थ प्रेषित्।

10– इंसीडेंट कमांडर सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बलरामपुर–रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

11– सर्व तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी बलरामपुर–रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

12– सर्व इंसीडेंट कमांडर जिला बलरामपुर–रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

13– सर्व अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, बलरामपुर–रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

14– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बलरामपुर–रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

15– सर्व थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

16– नगर पालिका परिषद्/सर्व नगर पंचायत, बलरामपुर–रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

17– सहायक संचालक, जनसम्पर्क विभाग, बलरामपुर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशनार्थ।

18– सर्व संबंधितों को पालनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज(छ.ग.)